न्यायालय सहायक कलक्टर, जयपुर शहर प्रथम, जयपुर

पीठासीन अधिकारी : राधिका देवी, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 115/2014

1. श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी देवाराम उम्र 50 वर्ष जाति जाट निवासी चारणवास पटवार हल्का कालवाड तहसील व जिला जयपुर।
2. श्रीमती नानछी देवी पत्नी श्री हनुमान उम्र 51 वर्ष जाति जाट निवासी चारणवास पटवार हल्का कालवाड तहसील व जिला जयपुर।

....वादीगण

बनाम

1. मालूराम उम्र 45 वर्ष पुत्र स्व. रामू जाति जाट निवासी चारणवास पटवार हल्का कालवाड तहसील व जिला जयपुर।
2. श्रीमती संज्या देवी उम्र 70 वर्ष पत्नी स्व. रामू (मृतक दौराने वाद)
   2/1 कानाराम पुत्र स्व0 श्रीमती संज्या देवी पत्नी स्व0 रामू जाति जाट निवासी चारणवास पटवार हल्का कालवाड तहसील व जिला जयपुर।
   2/2 श्रीमती झमरी देवी पुत्री स्व0 श्रीमती संज्या देवी पत्नी स्व0 रामू जाति जाट निवासी शाहबरामपुरा तहसील चौमू जिला जयपुर।
   2/3 श्रीमती बरजी देवी पुत्री स्व0 श्रीमती संज्या देवी पत्नी स्व0 रामू जाति जाट निवासी रामपुरा डाबडी तहसील चौमू जिला जयपुर।
3. श्रीमती सरजू देवी उम्र 42 वर्ष पत्नी कल्याण जाति जाट निवासी 45 नटवाडिया की ढाणी तन कालवाड तहसील व जिला जयपुर।
4. मैनेजर, जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक शाखा कालवाड तहसील व जिला जयपुर।
5. मैनेजर आन्ध्रा बैंक शाखा कालवाड तहसील व जिला जयपुर।
6. सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर जिला जयपुर।

....प्रतिवादीगण

दावा इन्द्राज दुरूस्ती, घोषणा, तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए, 53, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांकः–31.07.2017

वादीयागण की ओर से दावा इन्द्राज दुरूस्ती, घोषणा, तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए, 53, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया है तथा वाद में निवेदन किया कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 25/2 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम चारणवास पटवार हल्का कालवाड तहसील एवं जिला जयपुर में वादिया संख्या 1 का 20/130 हिस्सा व वादिया संख्या 2 का 23/130 हिस्से के एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी 2 का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 का 1/6 हिस्से के रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है इसी आशय कि घोषणा कि जाकर राजस्व रिकार्ड में वादिया संख्या 1 का 20/390 व वादिया संख्या 2 का 23/390 एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 83/780 व प्रतिवादी संख्या 2 का 87/780 हिस्सा दर्ज किया है उसे दुरूस्त किया जावे एवं पक्षकारान के मौके कब्जे एवं राजस्व रिकार्ड के अनुसार या मीट्स एण्ड बाउण्डस के अनुसार तकासमा किया जाकर लगान अलग–अलग कायम किया जावे तथा प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे वे वादीगण के उक्त कब्जे काश्त एवं हिस्से कि भूमि मे न तो स्वयं दखलंदाजी करे न किसी अन्य से करावे।

वादीगण की ओर से वाद पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गया। पक्षकारान ने दिनांक 09.05.2017 को राजीनामा पेश किया और निवेदन किया कि वाद का निस्तारण राजीनामे के मुताबिक किया जावे। इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 08.06

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट जयपुर शहर (प्रथम)

Scanned by CamScanner

2017 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई। इस न्यायालय के पत्र कमांक 8334 दिनांक 08.06.2017 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहसीलदार जयपुर को लिखा गया। तहसीलदार जयपुर ने अपने पत्र कमांक 3429 दिनांक 04.07.2017 के द्वारा न्यायालय के आदेश की पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा प्रेषित किये गये।

पक्षकारान के अधिवक्तागण ने न्यायालय में उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्राप्त कुर्रेजात रिपोट के आधार पर वाद में अंतिम डिक्री जारी कर दी जावे। हमें कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रकरण में प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर अंतिम डिक्री जारी की जाती है। निर्णय आज दिनांक 31/7/17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर अंतिम डिक्री जारी की जावे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम होकर हमफीता हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण मुताबिक कुर्रेजात निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है :-

क्र.सं.	खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1.	नानछी पत्नी हनुमान जाति जाट सा.देह	25/4	1.03	बारानी 2	0.86
	योग	1	1.03		0.86
2.	कौशल्या पत्नी देवाराम हि 1/3 राहिन जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक शाखा कालवाड मुर्तहीन कौशल्या पत्नी देवाराम हि 2/3 जाति जाट सा.देह	25/5	1.00	बारानी 2	0.75
	योग	1	1.00		0.75
3.	सरजू देवी पत्नी कल्याण हि 1083/4350 जाति जाट नि. 45 नटवाडियों की ढाणी कालवाड राहिन आन्ध्रा बैंक शाखा कालवाड मुर्तहीन मालूराम पुत्र रामू हि 2167/4350 राहिन जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक शाखा कालवाड मुर्तहीन कानाराम पुत्र रामू हि 17/4350 मालूराम कानाराम पि0 रामू हि 5415/43500 जाति जाट सा. देह झमरी देवी पुत्री रामू पत्नी रामू नि0 शाहबरामपुरा तह0 चौमू बरजी देवी पुत्री रामू पत्नी कालूराम नि0 रामपुरा डाबडी तह0 आमेर हि0 5415/43500 जाति जाट	25/2	4.07	बारानी 2	3.27
	योग	1	4.07		3.27

सहायक कलेक्टर एवम कार्यपालक मजिस्ट्रेट जयपुर शहर (प्रथम)

(श्वेता चौहान)
सहायक कलेक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
जयपुर शहर (प्रथम)

Scanned by CamScanner

अंतिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट जयपुर शहर प्रथम मुकाम जयपुर व इजलास सुश्री राधिका देवी, आर.ए.एस.

मुकद्दमा नं. 115/2014

1. श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी देवांराम उम्र 50 वर्ष जाति जाट निवासी चारणवास पटवार हल्का कालवाड तहसील व जिला जयपुर।
2. श्रीमती नानछी देवी पत्नी श्री हनुमान उम्र 51 वर्ष जाति जाट निवासी चारणवास पटवार हल्का कालवाड तहसील व जिला जयपुर।

.....वादीगण

बनाम

1. मालूराम उम्र 45 वर्ष पुत्र स्व. रामू जाति जाट निवासी चारणवास पटवार हल्का कालवाड तहसील व जिला जयपुर।
2. श्रीमती संज्या देवी उम्र 70 वर्ष पत्नी स्व. रामू (मृतक दौराने वाद)
   2/1 कानाराम पुत्र स्व0 श्रीमती संज्या देवी पत्नी स्व0 रामू जाति जाट निवासी चारणवास पटवार हल्का कालवाड तहसील व जिला जयपुर।
   2/2 श्रीमती झमरी देवी पुत्री स्व0 श्रीमती संज्या देवी पत्नी स्व0 रामू जाति जाट निवासी शाहबरामपुरा तहसील चौमू जिला जयपुर।
   2/3 श्रीमती बरजी देवी पुत्री स्व0 श्रीमती संज्या देवी पत्नी स्व0 रामू जाति जाट निवासी रामपुरा डाबडी तहसील चौमू जिला जयपुर।
3. श्रीमती सरजू देवी उम्र 42 वर्ष पत्नी कल्याण जाति जाट निवासी 45 नटवाडिया की ढाणी तन कालवाड तहसील व जिला जयपुर।
4. मैनेजर, जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक शाखा कालवाड तहसील व जिला जयपुर।
5. मैनेजर आन्ध्रा बैंक शाखा कालवाड तहसील व जिला जयपुर।
6. सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर जिला जयपुर।

....प्रतिवादीगण

यह मुकद्मा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू सुश्री राधिका देवी सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट जयपुर शहर प्रथम व हाजिर मिनजामिन मुद्दई रूबरू मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर भूमि विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 25/2 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम चारणवास पटवार क्षेत्र कालवाड तहसील [illegible], जिला जयपुर का दावा डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्सा, डिकी एवं निर्णय के जुज रहेगे।

वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण मुताबिक कुर्रेजात निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है :–

क्र.सं.	खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1.	नानछी पत्नी हनुमान जाति जाट सा. देह	25/4	1.03	बारानी 2	0.86
	योग	1	1.03		0.86
2.	कौशल्या पत्नी देवाराम हि 1/3 राहिन जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक शाखा कालवाड मुर्तहीन कौशल्या पत्नी देवाराम हि 2/3 जाति जाट सा.देह	25/5	1.00	बारानी 2	0.75
	योग	1	1.00		0.75
3.	सरजू देवी पत्नी कल्याण हि 1083/4350 जाति जाट नि. 45 नटवाडियों की ढाणी कालवाड राहिन आन्ध्रा बैंक शाखा कालवाड मुर्तहीन मालूराम पुत्र रामू हि 2167/4350 राहिन जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक शाखा कालवाड मुर्तहीन कानाराम पुत्र रामू हि 17/4350 मालूराम कानाराम पि0 रामू हि 5415/43500 जाति जाट सा. देह	25/2	4.07	बारानी 2	3.27

सहायक कलक्टर एवम कार्यपालक मजिस्ट्रेट जयपुर शहर (प्रथम)

Scanned by CamScanner

	झमरी देवी पुत्री रामू पत्नी रामू नि0 शाहबरामपुरा तह0 चौमू बरजी देवी पुत्री रामू पत्नी कालूराम नि0 रामपुरा डाबडी तह0 आमेर हि0 5415/43500 जाति जाट		4.07		3.27
	योग	1			

निजी ....मबलिक ....बाबत .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियत खर्चा इस मुकद्दमें का मय सूद वगैरह ....

तक ....को अदा करें।

वसूलियाव तक .... को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज 31 जुलाई तारीख सन् 2017 को जारी किया गया।

दस्तखत ....

ओहदा .... सहायक कलेक्टर एवम् कार्यपालक मजिस्ट्रेट जयपुर शहर (प्रथम)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा					
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो

Scanned by CamScanner

3/7/17	पत्रावली पेश हुई। वकील अपल का उपस्थित। बन्ना कुनीमाई जिन्होंने निवेदन किया कि प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर अन्तिम डिक्री जारी की जाती है तो हमको कोई आपत्ती नही है। क्योंकी प्रस्तुत कुर्रेजात पर हमको कोई आपत्ति नही है पक्षकारान के अधिवक्तागणा को प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नही है अतः प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर अन्तिम डिक्री जारी की जावे। निर्णय आज दिनांक 3/7/17 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली मे शामिल किया गया। पत्रावली का रजिस्टर क्रम से कम होकर दाखिल दफ्तर हो	(हस्ताक्षर) एडवोकेट वादीगण प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नही है (हस्ताक्षर) (राजेन्द्र जैन) (प्रतिवादीगण 1 लगायत 2 के काबमुकाम व ओर से)

(हस्ताक्षर)
सहायक कलेक्टर एवम
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
जयपुर शहर (प्रथम)

Scanned by CamScanner